क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की पुकतरफा बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 16-6-25 को पेश हो।	
16-6-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पुर्व मे बहस सुनी गई वादवादी का वाद अ.ध. 53 RTA का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया, डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 29-7-25 को पेश हो।	
29-7-25	~~पत्रावली पेश हुई~~ ...../..... ~~पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है~~ ~~अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक~~ ~~..... को पेश की जावे~~ पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक..... 9-10-25 को पेश की जावे	
9-10-25	पत्रावली पेश हुई SDO सा. कैम्प मे पधारे है। ..... ~~अब पत्रावली पुर्वानुसार दि~~ 24-11-25 ~~को पेश हो।~~	
24-11-25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की प्राप्त फर्द नटवारा रियो ई पर बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द नटवारा रियोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन करते पर दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दिजाव। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

वाद संख्या 05/2023

रामचन्द्र पिता चुन्नीलाल जी जाति रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
वादी

विरूद्ध

1. शंकरलाल पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. शंभुलाल पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. शिवलाल पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
4. रामेश्वरलाल पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
5. अनोपबाई पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
6. गुलाबी पत्नी सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
7. शंकरलाल पिता प्यारचन्द जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
8. एजन पत्नी प्यारचंद जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
9. छाउबाई पत्नी नन्दलाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
10. मदनलाल पिता धन्नालाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
11. लादूलाल पिता धन्नालाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
12. सत्यनारायण पिता धन्नालाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
13. वदामीबाई पिता धन्नालाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
14. दीपककुमार पिता पुरूषोत्तमलाल जी ब्राम्हण निवासी एम0जी0 हॉस्पिटल के पास भीलवाडा राजस्थान
15. लालीबाई पत्नी नगजीराम जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
16. शंभूलाल पिता दीपचंद जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
17. हरकूबाई पत्नी दीपचंद जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
18. अनिलकुमार पिता शान्तिलाल जी धाकड निवासी चेनसिंह जी का राजपुरा तह.बेगूँ
19. जगदीशचन्द्र पिता मोतीलाल जी धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
20. तहसीलदार सा. भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :—24.11.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा सूरपुर पटवार हल्का जयनगर तह0 बेगूँ की वर्तमान खतोनी सम्वत 2078 खाता सं0 34 में आराजी संख्या 48 रकबा 3.2530 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 19 के नाम संयुक्त खातेदारी से अंकित स्थित है। सह खातेदार हीरीबाई पत्नी धन्नालाल रेगर का स्वर्गवास हो चुका है एवं उसके वारिसान पहले से सहखातेदार होकर प्रकरण में पक्षकार है।

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 1/10 होकर इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। वादी एवं प्रतिवादीगण सभी अपने अपने दर्ज हिस्से अनुसार आपसी सहमति से विभाजन कर पृथक पृथक मौके पर काबिज हो पृथक पृथक काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 22.10.2022 को प्रतिवादी सं0 1 से 19 को तहसील में चलकर बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होंने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते वंटवाडा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादी उक्त वर्णित मौजा सूरपुर पटवार हल्का जयनगर की आराजी संख्या 48 रकबा 3.2530 हैक्टर भूमि में अपना निहित हक हिस्सा 1/10 को जरिये विभाजन मौके अच्छी पर अच्छी एवं बुरी से बुरी पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार वंटवाडा किये जाने हेतु वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

वाद वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वाद कारण दिनाक 22.10.2022 को प्रतिवादी सं0 1 से 19 द्वारा तहसील कार्यालय में चल कर खाता में दर्ज हिस्सानुसार जरिये विभाजन पृथक पृथक कराने की कार्यवाही किये जाने से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रतिवादी सं0 20 भूमिधारी होकर विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाये गये है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :—

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित मौजा सूरपुर पटवार हल्का जयनगर तह0 बेगूँ की आराजी संख्या 48 रकबा 3.2530 हैक्टर भूमि का वादी का हिस्सा 1/10 अच्छी मे

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

च्छी एवं बुरी मे से बुरी का जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये
की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।
) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपास्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी रामचन्द्र का पेश किया गया, वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा मामला होने से जिरह निल रही। इस प्रकार पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने के पश्चात दावा पत्रावली पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा वहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी वहस वादपत्र के अनुसार करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाने एवं उनके हिस्से अनुसार वर्णित कृषि आराजी का विभाजन किये जाने का निवेदन अपनी वहस में किया। पत्रावली में वहस सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत नकल जमावंदी प्रदर्श– 1 मौजा सूरपुर प0ह0 जयनगर के खाता संख्या 34 का अवलोकन किया गया, जमावंदी मे दर्ज आराजी संख्या 48 रकवा 3.2530 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/10 दर्ज अंकित होना पाया गया है। वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत अपने हिस्से की भूमि को विभाजित करा खाता पृथक राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य जाये जाने पर दिनांक 16.06.2025 को निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया गया :–

अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा ससुरपुर प0ह0 जयनगर की कृषि आराजी संख्या 48 रकवा 3.2530 हैक्टर भूमि में वादी रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल रेगर का हिस्सा 1/10 रखते हुए शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए वर्णित कृषि आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड वाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है, कि वे उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करा विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ को प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाते हुए निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिक डिक्री में वर्णित कृषि आराजीयात का वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ ने अपने पत्र कमांक /राजस्व/2025/900 दिनांक 15.10.2025 के साथ विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ तथा पर्चामौका रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय में प्रेषित किये। प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुनी गई।

प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादी द्वारा की जाकर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि को राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। इस प्रकार प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा सूरपुर पटवार हल्का जयनगर की कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :– ?

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हेक्टर	किस्म	लगान
1–	रामचन्द्र पिता चुन्नीलाल रेगर नि0 बेगूँ खातेदार	48 मे से	0.3250	बंजड	0.60
		कीता–1	0.3250		0.60
2–	शंभुलाल पुत्र सालग हि.1/5,रामेश्वरलाल पुत्र सालग हि.1/5, शंकरलाल पुत्र सालग हि.1/5,शिवलाल पुत्र सालग किह.1/5, अनोपवाई पुत्री सालग हि.1/5, रेगर नि0 बेगूँ खातेदार	48 मे से	0.3250	बंजड	0.60
		कीता–1	0.3250		0.60

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

	लादुलाल पुत्र धन्नालाल हि. 1/4,	48 मे से	0.3250	बंजड	0.60
	मदनलाल पुत्र धन्नालाल हि.1/4	कीता–1	0.3250		0.60
	सत्यनारायण पुत्र धन्नलाल हि. 1/4,				
	बदामबाई पुत्री धन्नालाल हि. 1/4,				
	रेगर निवासी बेगूँ खातेदार				
4–	अनिल कुमार पुत्र शांतिलाल हि. 15/1139	48 मे से	2.2780	बंजड	4.22
	धाकड नि. चैनसिंह जी का राजपुरा	कीता–1	2.2780		4.22
	एजनबाई पत्नि प्यारचंद हि. 81/1139				
	रेगर निवासी बेगूँ				
	कमलेश कुमार पुत्र ताराचन्द्र हि. 81/2278				
	रेगर निवासी नालीखेडा ,छाउबाई पत्नि				
	नंदलाल हि. 81/2278 रेगर निवासी बेगूँ ,				
	जगदीशचन्द्र पुत्र मोतीलाल हि. 1171/2278,				
	धाकड निवासी माधोपुर, दीपककुमार पुत्र				
	पुरुषोत्तमलाल हि. 50/1139 ब्राम्हण नि0बेगॅ				
	प्रहलाद कुमार पुत्र ताराचन्द्र हि. 81/2278,				
	रेगर निवासी नालीखेडा, लालीबाई पत्नि नगजीराम				
	हि. 124/1139 रेगर निवासी बेगूँ , शंकरलाल				
	पुत्र प्यारचन्द हि. 81/1139, रेगर नि0 बेगूँ				
	शंभुलाल पिता दीपचन्द्र हि. 81/1139 रेगर				
	निवासी बेगूँ, खातेदार				
	(कमलेशकुमार एवं प्रहलाद कुमार द्वारा प्रतिवादी)				
	शंभुलाल से भूमि क्रय करने के कारण नामान्तरण				
	मे दर्ज खातानुसार विभाजन में दर्ज किया।)				

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कृषि भूमि में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या 05 / 2023

रामचन्द्र पिता चुन्नीलाल जी जाति रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
वादी

विरूद्ध

1. शंकरलाल पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. शंभुलाल पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. शिवलाल पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
4. रामेश्वरलाल पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
5. अनोपबाई पिता सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
6. गुलाबी पत्नी सालग जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
7. शंकरलाल पिता प्यारचन्द जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
8. एजन पत्नी प्यारचंद जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
9. छाउबाई पत्नी नन्दलाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
10. मदनलाल पिता धन्नालाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
11. लादूलाल पिता धन्नालाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
12. सत्यनारायण पिता धन्नालाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
13. वदामीबाई पिता धन्नालाल जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
14. दीपककुमार पिता पुरूषोत्तम जी ब्राम्हण निवासी एम0जी0 हॉस्पिटल के पास भीलवाडा राजस्थान
15. लालीबाई पत्नी नगजीराम जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
16. शंभूलाल पिता दीपचंद जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
17. हरकूबाई पत्नी दीपचंद जी रेगर निवासी बेगूँ तह0 बेगू
18. अनिलकुमार पिता शान्तिलाल जी धाकड निवासी चेनसिंह जी का राजपुरा तह.बेगूँ
19. जगदीशचन्द्र पिता मोतीलाल जी धाकड निवासी माधोपुर तह0 बेगूँ
20. तहसीलदार सा. भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता .....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा सूरपुर पटवार हल्का जयनगर की कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :– ?

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हेक्टर	किस्म	लगान
1–	रामचन्द्र पिता चुन्नीलाल रेगर नि0 बेगूँ खातेदार	48 मे से	0.3250	बंजड	0.60
		कीता–1	0.3250		0.60
2–	शंभुलाल पुत्र सालग हि.1/54,रामेश्वरलाल पुत्र सालग हि.1/5, शंकरलाल पुत्र सालग हि.1/5,शिवलाल पुत्र सालग किह.1/5, अनोपबाई पुत्री सालग हि.1/5, रेगर नि0 बेगूँ खातेदार	48 मे से	0.3250	बंजड	0.60
		कीता–1	0.3250		0.60
3–	लादुलाल पुत्र धन्नलाल हि. 1/4, मदनलाल पुत्र धन्नालाल हि.1/4 सत्यनारायण पुत्र धन्नलाल हि. 1/4, वदामबाई पुत्री धन्नालाल हि. 1/4, रेगर निवासी बेगूँ खातेदार	48 मे से	0.3250	बंजड	0.60
		कीता–1	0.3250		0.60

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अनिल कुमार पुत्र शांतिलाल हि 15 / 1139
धाकड़ नि. चैनसिंह जी का राजपुरा
एजनबाई पत्नि प्यारचन्द हि. 81 / 1139
रेगर निवासी बेगूँ
कमलेश कुमार पुत्र ताराचन्द हि. 81 / 2278
रेगर निवासी मालीखेडा ,छाउबाई पत्नि
नंदलाल हि 81 / 2278 रेगर निवासी बेगूँ ,
जगदीशचन्द पुत्र मोतीलाल हि. 1171 / 2278,
धाकड़ निवासी माधोपुर, दीपककुमार पुत्र
पुरूषोतमलाल हि. 50 / 1139 ब्राम्हण नि0बेगें
प्रहलाद कुमार पुत्र ताराचन्द हि. 81 / 2278,
रेगर निवासी मालीखेडा, लालीबाई पत्नि नगजीराम
हि. 124 / 1139 रेगर निवासी बेगूँ , शंकरलाल
पुत्र प्यारचन्द हि. 81 / 1139, रेगर नि0 बेगूँ
शम्भुलाल पिता दीपचन्द हि. 81 / 1139 रेगर
निवासी बेगूँ, खातेदार
(कमलेशकुमार एवं प्रहलाद कुमार द्वारा प्रतिवादी)
शंभुलाल से भूमि क्रय करने के कारण नामान्तरण
में दर्ज खातानुसार विभाजन में दर्ज किया

48 गे से	2.2780	वंजड	4.22
कीता–1	2.2780		4.22

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कृषि भूमि में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 945 दिनांक :– 26/11/25

दावा संख्या 05 / 2023 व अनवान रामचन्द्र बनाम शंकरलाल वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ